

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025-पौष 20, शक 1946

### खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

शुद्धि-पत्र

एफ-5-4-2020-उन्तीस-दो:- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 345, दिनांक 23 अगस्त 2021 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग) नियम, 2021 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम(1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:-

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) (2018 का 35)	689	1	(2019 का 35) का स्थापन
(2) परिभाषाएं- (1) के (घ) में धार	690	8	धारा
(3) परिभाषाएं- (1) के (घ) में स्थापति	690	9	स्थापित
(4) 3. के (1) में जाय	690(1)	1	जाए
(5) 4. के (7) में हों	690(2)	10-12	हो
(6) 8. के (3) में निस्तारण	690(5)	14	निस्तारण
(7) अनुसूची	690(7)	1	अनुसूची-1
(8) तालिका क्र.3	690(7)	25	तालिका क्र. 2
(9) (क) कार्यशाली	690(8)	1	कार्यशील

(1)	(2)		(3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
(10) तालिका क्र.4	690(8)	6	तालिका क्र.3
(11) August	690(9)	1	August

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र.एफ-5-4-2020-उन्तीस-दो.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2020-उन्तीस-दो, दिनांक 10 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 10<sup>th</sup> January 2025

CORRIGENDUM

F 5-4-2020-XXIX-2.—Mentioned in column (1) of the table given below in the Madhya Pradesh Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commission) Rules, 2021, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 345, dated 23<sup>rd</sup> August, 2021 in place of those words, figures and symbols which appear in the pages and lines mentioned in column (2) of the said table, should be read as the words, figures and symbols given in the corresponding entries in the column (3) of the said table:-

S.no Incorrectly printed words, figures and symbols	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं	शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं	
(1)	(2)	(3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) (2018 का 35)	689	1	(2019 का 35) का स्थापन
(2) परिभाषाएं- (1) के (घ) में धार	690	8	धारा
(3) परिभाषाएं- (1) के (घ) में स्थापति	690	9	स्थापित
(4) 3. के (1) में जाय	690(1)	1	जाए
(5) 4. के (7) में हों	690(2)	10-12	हो
(6) 8. के (3) में निस्तारण	690(5)	14	निस्तारण
(7) अनुसूची	690(7)	1	अनुसूची-1
(8) तालिका क्र.3	690(7)	25	तालिका क्र. 2
(9) (क) कार्यशाली	690(8)	1	कार्यशील
(10) तालिका क्र.4	690(8)	6	तालिका क्र.3
(11) August	690(9)	1	August

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.